जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर जिला, जयपुर
(जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, जयपुर जिला, जयपुर)
फोन नं0 0141–2203090 ई–मेल dlsa18jaipurdistrict@gmail.com

क्रमांक:- 89 दिनांक:- 15/05/2021

–: विज्ञप्ति :–

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्र क्रमांक–एफ–7(197/1)राल्सा/संस्था–किराया वाहन/2021/7869–7899 दिनांक 26.04.2021 एवं वित्त विभाग(जी.एण्डटी/एसपीएफसी) विभाग के परिपत्र दिनांक 19.07.2018 एवं 31.03.2021 के पूर्ण प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करते हुये नियमानुसार 2000 कि.मी. (अधिकतम) प्रतिमाह रनिंग के लिए रूपये 31,350/– अधिकतम प्रतिमाह के मासिक किराये के आधार पर इस कार्यालय(सम्पूर्ण जिला क्षेत्राधिकार) के लिए दिनांक 31.03.2022 तक की अवधि के लिए महिन्द्रा बोलेरो (7 सीटर वातानुकूलित वाहन) अथवा महिन्द्रा स्कॉर्पियों(scorpio), महिन्द्रा अरमाडा(Armada) अथवा इसी श्रेणी के समकक्ष वाहन उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है।

उक्तानुसार वाहन पूर्णतया अनुबंध के आधार पर किराये पर लिया जाना है, संबंधित व्यक्ति/फर्म/सेवाप्रदाता अपना प्रस्ताव वांछित दस्तावेज संलग्न कर इस कार्यालय में कार्यदिवस में कार्यालय समय प्रातः 9.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते है। उक्त वाहन के संबंध में अन्य शर्ते विज्ञप्ति के साथ संलग्न है। इच्छूक व्यक्ति/फर्म/सेवाप्रदाता विस्तृत विज्ञप्ति/आवेदन पत्र कार्यालय समय में इस कार्यालय प्राप्त कर सकते है।

अतः इस विज्ञप्ति के जरिये सूचित किया जाता है कि उक्तानुसार वाहन उपलब्ध कराने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म/सेवा प्रदाता विज्ञप्ति जारी करने की दिनांक से 07 दिवस के भीतर दिनांक 21.05.2021 तक इस कार्यालय में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते है। इसके पश्चात प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जावेगा।

पूर्णरूप से भरे हुए सीलबंद प्रस्ताव दिनांक 21.05.2021 तक दोपहर 01.00 बजे तक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर जिला के कार्यालय में जमा करवाये जा सकते हैं। निविदा दिनांक 22.05.2021 को अध्यक्ष महोदय के समकक्ष खोली जावेगी। प्रस्ताव पत्र का प्रारूप एवं अन्य शर्तें जिला न्यायालय, जयपुर जिला, जयपुर की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/jaipur पर देखी जा सकती है एवं डाउनलोड की जा सकती है तथा इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी देखी जा सकती है।

अध्यक्ष
उपापन समिति
(जिला विधिक सेवा प्राधिकरण)
जयपुर जिला, जयपुर

क्रमांकः– 4166–4169 दिनांकः– 15/05/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1–श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2–सिस्टम ऑफीसर, जिला न्यायालय, जयपुर जिला, जयपुर को जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
3–नोटिस बोर्ड, जिला न्यायालय/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर जिला, जयपुर
4–आदेश पत्रावली/संबंधित पत्रावली।

अध्यक्ष
उपापन समिति
(जिला विधिक सेवा प्राधिकरण)
जयपुर जिला, जयपुर

किराये के वाहन हेतु प्रस्ताव पत्र

1. प्रस्तावक का नाम व पूरा पता...
....
...........दूरभाष नम्बर..
....
2. प्रस्तावित वाहन का पंजीयन संख्या व विवरण..
....
....
....
3. किराये का वाहन उपलब्ध करवाये जाने हेतु विभाग की समस्त निबन्धनों एवं शर्तों की पालना करने में मैं/हम सहमत है तथा सभी शर्तों एवं निबन्धनों, जो सलग्न पृष्ठों में दी गई है, को मेरे/हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप मैंने/हमने हस्ताक्षर कर दिये गये है।
4. इस प्रस्ताव के आधार पर मैं/हम दिनांक 31.03.2022 तक की अवधि तक वाहन उपलब्ध करवाये जाने हेतु बाध्य है।
5. फर्म का जी.एस.टी. पंजीयन क्रमांक ....
......
6. पैन न...
.....
7. पिछले 03 वर्षों के कार्य का विवरण..
....
....
....
....

प्रस्तावक के हस्ताक्षर
मय पता व फोन नम्बर

वाहन उपलब्ध कराने हेतु शर्तें व शरायतें

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर जिला, जयपुर के लिए वाहन मासिक आधार पर किराये पर लेने के लिए राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक **No. f.2(4)fd/spfc/2017jaipur dated 19.07.2018** एवं **No. f.2(4)fd/spfc/2017 jaipur dated 31-03-2021** में दिये गये निर्देशानुसार निम्न शर्तों के तहत उपलब्ध करायेगा :—

1. यह की उक्त वाहन कार्यादेश की दिनांक से 31.03.2022 की अवधि के लिए मासिक आधार पर किराये पर उपलब्ध करायेगा, कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर उक्त वाहन को अवधि से पूर्व भी 7 दिवस का नोटिस देकर हटाया जा सकेगा।
2. महिन्द्रा बोलेरा वाहन किराये पर लेने के लिए अधिकतक मासिक भुगतान 31350/— रूपये किया जावेगा। रूपये 31350/— के अतिरिक्त सेवाकर(यदि लागु हो तो) देय होगा।
3. यदि किसी माह में वाहन न्युनतम 1500 किमी. नहीं चल पाया तो भुगतान निम्नानुसार किया जावेगा :—

   अ. प्रथम 1500 किमी. तक और 1500 किमी. से कम होने पर भी भुगतान रूपये 26400/— किया जायेगा।

   ब. 1500 किमी. के अतिरिक्त रूपये 10/— प्रति किमी. की दर से भुगतान किया जायेगा।

4. वाहन जयपुर जिला के बाहर राजस्थान में अन्य किसी दूसरे जिले में वाहन ले जाने पर ड्राईवर को 300/— रूपये प्रति रात्रि पड़ाव भुगतान किया जावेगा।
5. उपलब्ध करवाये जाने वाले वाहन टैक्सी के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिये।
6. वाहन 06 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होगा। विशेष परिस्थिति में सक्षम स्वीकृति से उक्त अवधि को 02 वर्ष तक बढाया जा सकेगा।
7. वाहन मालिक का वाहन चालक स्वच्छ पोशाक में होगा एवं वाहन को साफ—सुथरा रखेगा।
8. वाहन चालक वैद्य वाणिज्यिक चलाने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा पत्र धारक होना आवश्यक है।
9. वाहन मालिक को किराये पर उपलब्ध करवाये गए वाहन पर एक प्लेट यह उद्यत करते हुए कि वाहन राजकीय कर्तव्य पर है, उपलब्ध करवानी होगा।
10. वाहन को यथा संभव कार्यालय परिसर में ही खड़ा किया जाएगा। (लेकिन जोखिम वाहन मालिक की होगी)
11. वाहन के प्रभार अधिकारी द्वारा वाहन के कर्तव्य का समय निर्धारित किया जावेगा। वाहन उपयोग हेतु कर्तव्य स्थान से दूरी व समय की गणना के अनुसार वाहन की लॉग बुक भरी जायेगी। लॉगबुक निर्धारित प्रारूप में वाहन मालिक को वाहन के साथ उपलब्ध करवानी होगी।
12. वाहन मालिक द्वारा किसी दिनांक को वाहन उपलब्ध नहीं करवाया जाता है तो शास्ति रूपये 2,000/— (दो हजार रूपये) प्रतिदिन आरोपित की जावेगी तथा किराये पर अन्य वाहन लेने की स्थिति में यदि अतिरिक्त भुगतान किया जाता है तो अधिक भुगतान की वसूली वाहन स्वामी से की जावेगी।

13. वाहन की मरम्मत, पेट्रोल/डीजल/ऑयल आदि व्यय वाहन स्वामी द्वारा वाहन किया जावेगा।

14. प्रत्येक वाहन में जी.पी.एस का होना अनिवार्य होगा तथा इसको राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा की जावेगी।

15. यदि वित्त विभाग उक्त दरों में भविष्य में या अनुबंध अवधि में कोई संशोधन किया जाता है तो संशोधित दरों से भुगतान किया जावेगा।

16. उक्त भुगतान राशि के अतिरिक्त पथकर का पुनर्भरण वाहन स्वामी को पथकर की रसीद प्रस्तुत करने पर किया जायेगा। पथकर के अलावा मरम्त कर वाहन स्वामी द्वारा वहन किये जावेंगे।

17. सभी विधिक कटौतियां जैसे आयकर (टी.डी.एस) सेवाकर इत्यादि, भुगतान के समय लामू विधि/नियमों के अनुसार की जाकर भुगतान किया जावेगा।

18. सफल प्रस्तावक (वाहन प्रदाता) को 500/– के पर Non-judicial Stamp Paper अनुबंध का निष्पादन करना होगा।

19. चूकि यह निविदा प्रस्ताव नहीं है तथा वाहन किराये पर लिये जाने हेतु पैनल तैयार किया जाना हैं, अतः प्रस्ताव के साथ प्राप्त हुए दस्तावेजों एंव कार्य अनुभाव एव अन्य बातों को मद्देनजर रखते हुए गुणावगुण के आधार वाहन किराये पर लिये जाने का अंतिम निर्णय विभागाध्यक्ष का होगा।

20. इच्छुक प्रस्तावक अपना प्रस्ताव संलग्न प्रारूप में भरकर नियत तिथि दिनांक 21.05.2021 तक निम्न दस्तावेजों के साथ कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेगाः–

    1. वाहन किराये पर लिये जाने की शर्तें जिसे स्वीकार करने के साक्ष्य स्वरूप प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर मय सील के करने होगें।
    2. किराये पर उपलब्ध करवाये जाने वाले वाहनों का पंजीयन प्रमाण पत्र बीमा एवं पॉल्यूशन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियॉ प्रस्तुत करनी होगी।
    3. वाहन चालकों के नाम व उनके वैद्य अनुज्ञा पत्रों की प्रमाणित प्रतिया।
    4. पिछले 03 वर्षों का राजकीय कार्यालयों/विभागों में वाहन किराये पर उपलब्ध करवाये जाने के प्रमाण स्वरूप दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियॉ।
    5. प्रस्तावक के जी.एस.टी. एवं पैन की प्रमाणित प्रतियां।
    6. जी.एस.टी. की शोधन प्रमाण पत्र।

21. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।

22. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में वाहन का फिजिकल निरीक्षण व दस्तावेजात (टैक्सी न. फिटनेस व परमिट, इंश्योरेस, वैद्य ड्राईविंग लाइसेंस इत्यादि) की जांच के उपरान्त उपयुक्त वाहन का प्रस्ताव अनुमोदिन हेतु राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को प्रेषित किया जावेगा, एवं निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

23. अनुबंध के समय अन्य आवश्यक शर्तें, शरायतें जोड़ी जा सकेंगी।

अध्यक्ष
उपापन समिति
(जिला विधिक सेवा प्राधिकरण)
जयपुर जिला, जयपुर